न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 39/2014
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 25.04.2014

अनवान

1. शंकरी पुत्री रामा पत्नि रतनलाल जाति जाट निवासी खटूकड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद

वादीया

–:बनाम:–

1. मांगू पिता रामा जाति जाट निवासी खटूकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 रा.का.अधि. 1955

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से :– अधिवक्ता मुकेश कुमार टुकल्या
प्रतिवादीगण की ओर से :– अधिवक्ता प्रकाशचन्द्र खटीक

निर्णय

दिनांक 13.01.2026

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम खटूकडा पटवार हल्का खटूकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में खाता संख्या नया 241 व पुराना 102 में आराजी संख्या 1654, 1662, 1663, 1664, 1665, 1667, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 कुल किता 11 कुल रकबा 53 बीघा 07 बिस्वा कृषि आराजीयात स्थित है। वादीया एवं प्रतिवादीगण हिन्दू होकर विधि से शासित होते है। उक्त वर्णित भूमियों में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी जायदाद हैं जो विरासत से प्राप्त हुई है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 का एक ही परिवार होकर स्वर्गीय रामा पिता चेना जाति जाट के वंशज है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

रामा पिता चेना जाट (फौत)

मांगु (पुत्र) शंकरी (पुत्री)

वादीया नाबालिग अवस्था में थी तब वादीया के पिता रामा जी का स्वर्गवास हो गया था और स्वर्गवास के बाद पैरा संख्या एक में वर्णित भूमी का नामान्तरकरण संख्या 161 ग्राम पंचायत चराणा द्वारा दिनांक 12.06.1968 को फैसल किया गया जिसमें विरासत से रामा के वारिस के रूप में केवल प्रतिवादी संख्या एक का नाम दर्ज अंकित कर दिया गया जबकि वादीया जो रामाजी की पुत्री हैं उसका नाम भी राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाना चाहिए था जो तत्कालीन पटवारी हल्का एव राजस्व अधिकारियो ने अवैद्य तरीके से अंकित नहीं किया जबकि उक्त भूमी में वादीया का प्रतिवादीसंख्या एक के समान ही हक अधिकार हैं। पैरा संख्या एक में वर्णित भूमीयों में वादीया का 1/2 हिस्सा एवं हक अधिकार हैं तथा प्रतिवादी संख्या एक का भी 1/2 हिस्सा व हक अधिकार हे लेकिन उपरोक्त वर्णित कारणो से वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं किया गया । वादीया रामा पिता चेना जाट की पुत्री एवं वारिस होने से वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित भूमी में प्रतिवादी संख्या एक के समान ही हक अधिकार रखती हैं और राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा खातेदार के रूप में अंकन कराने की अधिकारिणी हें और वादीया अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा उक्त हिस्से की करवाने की अधिकारी हैं एवं तदनुसार राजस्व रेकार्ड में भी अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारी हैं इस हेतु यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित भूमी में वादीया का प्रतिवादी संख्या एक के साथ समान समान हक अधिकार हैं। वादीया उक्त भूमी पर प्रतिवादी संख्या एक के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करती आ रही है। वादीया भूमी को अब प्रतिवादी संख्या एक के साथ संयुक्त नहीं रखना चाहती हैं, भूमी का विभाजन कराना चाहती हैं जिससे कि भविष्य में अपने हिस्से की भूमी का अपनी ईच्छानुसार विकास कर सके और भूमी को आवाद कर सके। भूमी प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादी उक्त भूमी को अवेद्य रूप से अन्य व्यक्ति को अंतरण करने की धमकी दे रहा हैं। प्रतिवादी के उक्त कृत्य को देखते हुऐ वादीया को प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हैं जिसके लिए वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित जायदाद का जब

सहायक कलक्टर

तक विधिवत रूप से घोषणा एवं विभाजन न हो प्रतिवादी संख्या एक उक्त पैरा संख्या एक में वर्णित भूमी को किसी अन्य व्यक्ति संस्था, फर्म को रहन बय बक्षीस या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें, राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। वादीया के हिस्से की भूमी के उपयोग उपभोग में, कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट बाधा पैदा नहीं करें। उपरोक्त आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध जारी नहीं की गई तो प्रतिवादी संख्या एक अवैद्य रूपेण उक्त भूमी को अन्य को अन्तरित कर देगे तथा ताकत के बल वादीया को उक्त भूमी से बेदखल कर देगे भूमी जो उसके अकेले के नाम गलत रूपेण दर्ज हैं जिसका नाजायज फायदा उठा कर अन्य को अन्तरित कर देगे ऐसी स्थिति में वादीया को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन अर्थ या अन्य प्रकार से सम्भव नहीं होगा व्यर्थ के विवाद व मुकदमें बाजी बढेगी तथा वादीया के विधिक हक अधिकारो का हनन होगा तथा वे न्याय से मेहरूम हो जायेगी अतः न्यायहित में प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। वाद कारण अन्तिम मर्तबा दिनांक 10.04.2014 को जबकि वादीया ने प्रतिवादी संख्या एक को उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादीया के 1/2 हिस्से को वादीया के नाम दर्ज कराने एवं जब तक वादीया का हिस्सा उसके नाम दर्ज नहीं हो जावे तब तक उक्त भूमी को अन्य को अन्तरित नहीं करने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या एक ने टालमटूल जवाब दिया और यही नहीं भूमीयाँ अपने नाम दर्ज होने से अन्य को अन्तरित करने की धमकी दी तबसे उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीया का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात जिसका पूरा विवरण वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित किया गया हैं में वादीया का 1ध्2 हिस्सा होने की घोषणा फरमाई जाकर उपरोक्त हिस्से अनुसार वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं उक्त हिस्सा अनुसार भूमीयॉ वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने हेतु वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी पारित फरमाई जावे। वादग्रस्त आराजीयात जिसका पूरा विवरण पैरा संख्या एक में वर्णित किया गया का वादीया एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर विभाजन की प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिकी पारित फरमाई जावे । भूमी का विधिवत करवाया जाकर पृथक पृथक कब्जा आधिपत्य सुपुर्द करवाया जावे विभाजन की जो भी औपचारिकतायें हैं पूरी करवाई जाकर विधिवत विभाजन करवाया जावे। वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या एक में वर्णित जायदाद का जब तक विधिवत रूप से घोषणा एवं विभाजन न हो प्रतिवादी संख्या एक उक्त पैरा संख्या एक में वर्णित भूमी को किसी अन्य व्यक्ति संस्था, फर्म को रहन बय बक्षीस या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें, राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। वादीया के हिस्से की भूमी के उपयोग उपभोग में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट बाधा पैदा नहीं करें। दौराने वाद यदि प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमी को अन्य को अंतरित कर देवे व राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करा देवे व वादीया को बेदखल कर देवे तो पुनः प्रतिवादी संख्या एक के खर्चे से पूर्ववत स्थिति कायम कराई जावे। यह कि वाद व्यय वकील मेहनताना एवं अन्य दाद जो वादीया के लिए हितकर हो वह प्रतिवादी संख्या एक से दिलाई जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या अधिवक्ता हनुमान प्रसाद शर्मा ने वकालतपत्र पेश किया व आर्डर 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी जमीन में पुत्रीयों का हक होता है जिससे उक्त प्रकरण में आदेश 07 नियम 11 लागु नहीं होकर प्रार्थना–पत्र मेरीट पर निर्णित किया जाकर अस्वीकार किया गया। प्रतिवादीसंख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 सर्वथा गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि प्रतिवादी के पिता श्री रामा जी जाट की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में किये गये सन् 2005 के संशोधन से काफी पहले हो चुकी है और चुकि रामा जी की मृत्यु पर उनका एकमात्र पुत्र मागु ही था इसलिए दाय के खुलने पर वादग्रस्त भूमि जो की रामा जी जाट के नाम दर्ज थी और उनकी मृत्यु के पश्चात् वाद वर्णित भूमि प्रतिवादी मांगु के नाम अंकित हुई ओर जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा होकर उसका उपयोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस कलम में यह लिखना की वादग्रस्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तेनी जायदाद होकर विरासत से प्राप्त हुई है, सर्वथा गलत तथ्य अंकित तथ्य अंकित किया है। वाद पत्र की कलम संख्या 5 पूर्ण रूप से गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि में वादीया का 1/2 हक हिस्सा नहीं बनता है ओर क्योंकि 2005 के संशोधन से पूर्व ही रामा जी मृत्यु हो जाने से एवं ''दाय के खुलने पर'' वादग्रस्त भूमि जो रामा जी के नाम दर्ज थी इसलिए मांगु के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुई ऐसी स्थिति में वादीया का वादग्रस्त भूमि में समान हक हिस्सा नहीं होने से राजस्व रिकार्ड में 1/2 हक हिस्सा खातेदारी के रूप में दर्ज कराने की अधिकारी नहीं है ओर क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर 60 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा है और जिससे समस्त खातेदारी अधिकार रिज्युम हो चुके है तथा धारा 63 (प.अ.) के अनुसार वादीया को खातेदारी के अधिकारों की घोषणा के लिए वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्ण रूप से मिथ्या आधारों पर होने से निरस्त होने योग्य है। वाद पत्र की कलम संख्या 6 सर्वथा गलत होने से अस्वीकार है। वादीया का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ समान हक अधिकार नहीं है। यह भी गलत अंकित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

किया है की वादीया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से काविज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करती चली आ रही हो क्योंकि वादीया का वादग्रस्त भूमि में किसी तरह का कोई दखल नहीं है और न ही उसका वादग्रस्त भूमि पर एक भी दिन कब्जा नहीं रहा है ओर क्योंकि वादीया जो की अपने ससुराल फलीचरा की खेडी तहसील मावली जिला उदयपुर में निवासरत है और ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा यह लिखना की वादग्रस्त भूमि पर काबिज है पूर्ण रूप से गलत तथ्य अंकित किया है। अतः प्रार्थना है कि वादिया का वाद पत्र सर्वथा मिथ्या एवं गलत आधारों पर होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली में तनकीयाता कायम की गईः–

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियां पैतृक होने से वादी का वादग्रस्त आराजीयात में हक अधिकार होने से अपने 1/2 हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है।

वादीया

2. आया वादीया के नाम पर वादग्रस्त भूमियों में हिस्सा घोषित होने के पश्चात् वादीया वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन कर या कर पृथक से कब्जा प्राप्त होने करने का अधिकार है।

वादीया

3. आया श्री रामा का स्वर्गवास हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में किये गये सन् 2005 में किये गये संसोधन से काफी पहले हो चुकी है जिससे वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। **प्रतिवादी संख्या 01**

साक्ष्य में वादीया के ओर से साक्ष्यवादी – पीडब्ल्यू – 1 पेश किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है – मै शंकरी पुत्री स्व. रामा जी जाट , आयु 56 वर्ष, निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमद, हाल निवासी फ लीचडा की खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर की रहने वाली होकर निम्नलिखित शपथ पूर्वक निवेदन करती हूं– कि राजस्व ग्राम खटूकडा, पटवार हल्का खटूकडा तहसील रेलमगरा की खाता संख्या 241 कुल किता 11 कुल रकबा 53.07 बीघा जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रर्दश 1 है एवं नक्शा ट्रेस प्रर्दश 2 है। फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 है तथा प्रमाणित प्रतियां खसरा प्रत्रक प्रदर्श 4 है। मै एवं मागू दोनो हिन्दू होकर हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त पैरो संख्या एक वर्णित वादग्रस्त आराजियात मेरी एवं मागू की पुश्तैनी जायदाद है जो विरासत से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। जिसमें मै और मागू एक ही परिवार के होकर स्वर्गीय रामा पिता चेना जी जाति जाट के पुत्र व पुत्री है। नामांतरण संख्या 161 दिनांक 12.06.168 के समय मै नाबालिग होने के कारण एवं मेरे पिता रामा जी मौते होने के कारण पारित किया गया था। जिसमें विरासत के नामान्तरण में केवल मागू का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया । जो उक्त भूमि में मै और मागू समान हिस्से के हक एवं अधिकारी थे। जो नामातंरण पारित किया गया है। वो विधि विरूद्व पारित किया गया है। नामान्तरण संख्या 161 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश 5 है। वादग्रस्त आराजियात में मै 1/2 हिस्से की खातेदार हू। अत : उक्त विवाद ग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी हू।

साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी – डीडब्ल्यू – 1 मांगू पिता रामा जी जाट, **डीडब्ल्यू – 2** शांति लाल पिता गणेश, **डीडब्ल्यू – 3** पप्पूलाल पिता देवकिशन जाति भांड पेश किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है – मुझ प्रतिवादी के पिता श्री रामा जी जाट की मृत्यू हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में किये गये सन् 2005 के संशोधन से काफी पहले हो चुकी है और चुकि रामा जी की मृत्यू पर उनका एकमात्र पुत्र मांगू ही था इसलिए दाय के खुलने पर वादग्रस्त भूमि जो की रामा जी जाट के नाम दर्ज थी और उनकी मृत्यु के पश्चात् वाद वर्णित भूमि मुझ प्रतिवादी मांगू के नाम अंकित हुई और जिस पर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा होकर उसका उपयोग कर रहा हो। उक्त भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा नहीं बनता है। उक्त भूमि पर 60 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। वाद कारण दिनांक 10.04.2025 को उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योकि वादग्रस्त भूमि में वादीया का किसी तरह का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और 60 वर्ष से अधिक समय से मै प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हु। केवल मात्र गलत वाद कारण के आधार पर यह वाद प्रस्तुत है जो निरस्त होने योग्य है।

वादी अधिवक्ता की वहस सुनी गई। बहस में निवेदन किया गया कि है। वादी सं. 1, 2 के दादा एवं वादी सं. 3 के परदादा श्री जसुपुरी जी के स्वर्गवास के बाद राजस्व अभिलेख में बड़े पुत्र नाथुपुरी के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है, जो भूल की है, जबकि कानूनन नाथुपुरी एवं गणेशपुरी के नाम पर बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। नाथुपुरी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2, 3 के नाम पर दर्ज हो गई। उक्त 'क' में वर्णित भूमियां प्रतिवादी सं. 2,3 के नाम पर दर्ज होने से जमीन प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज करा दी, जिससे प्रतिवादी सं 1,2,3 निर्माण करार्य करने पर आमादा है, अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर रहे है, जिसका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादीगण का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज कराना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कायमी तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

1.आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियां पैतृक होने से वादी का वादग्रस्त आराजीयात में हक अधिकार होने से अपने 1/2 हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है। **वादीया**

तनकी – 1 के संदर्भ में निर्णय निम्नानुसार है – साक्ष्य में वादीया के ओर से साक्ष्यवादी – पीडब्ल्यू – 1 पेश किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है – मै शंकरी पुत्री स्व. रामा जी जाट , आयु 56 वर्ष, निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमद, हाल निवासी फ लीचडा की खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर की रहने वाली होकर निम्नलिखित शपथ पूर्वक निवेदन करती हूं– कि राजस्व ग्राम खटूकडा, पटवार हल्का खटूकडा तहसील रेलमगरा की खाता संख्या 241 कुल किता 11 कुल रकबा 53.07 बीघा जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रर्दश 1 है एवं नक्शा ट्रेस प्रर्दश 2 है। फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 है तथा प्रमाणित प्रतियां खसरा प्रत्रक प्रदर्श 4 है। मै एवं मागू दोनो हिन्दू होकर हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त पैरो संख्या एक वर्णित वादग्रस्त आराजियात मेरी एवं मागू की पुश्तैनी जायदाद है जो विरासत से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। जिसमें मै और मागू एक ही परिवार के होकर स्वर्गीय रामा पिता चेना जी जाति जाट के पुत्र व पुत्री है। नामांतरण संख्या 161 दिनांक 12.06. 168 के समय मै नाबालिग होने के कारण एवं मेरे पिता रामा जी मौते होने के कारण पारित किया गया था। जिसमें विरासत के नामान्तरण में केवल मागू का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया । जो उक्त भूमि में मै और मागू समान हिस्से के हक एवं अधिकारी थे। जो नामातंरण पारित किया गया है। वो विधि विरूद्व पारित किया गया है। नामान्तरण संख्या 161 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश 5 है। वादग्रस्त आराजियात में मै 1/2 हिस्से की खातेदार हू। अत : उक्त विवाद ग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी हू। साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी – डीडब्ल्यू – 1 मांगू पिता रामा जी जाट, डीडब्ल्यू – 2 शांति लाल पिता गणेश, डीडब्ल्यू – 3 पप्पूलाल पिता देवकिशन जाति भांड पेश किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है – मुझ प्रतिवादी के पिता श्री रामा जी जाट की मृत्यू हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में किये गये सन् 2005 के संशोधन से काफी पहले हो चुकी है और चुकि रामा जी की मृत्यू पर उनका एकमात्र पुत्र मांगू ही था इसलिए दाय के खुलने पर वादग्रस्त भूमि जो की रामा जी जाट के नाम दर्ज थी और उनकी मृत्यु के पश्चात् वाद वर्णित भूमि मुझ प्रतिवादी मांगू के नाम अंकित हुई और जिस पर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा होकर उसका उपयोग कर रहा हो। उक्त भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा नहीं बनता है। उक्त भूमि पर 60 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। वाद कारण दिनांक 10.04.2025 को उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योकि वादग्रस्त भूमि में वादीया का किसी तरह का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और 60 वर्ष से अधिक समय से मै प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हु। केवल मात्र गलत वाद कारण के आधार पर यह वाद प्रस्तुत है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में वादीया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1955 के तहत वादीया की पैतृक सम्पति होने के कारण वादीया उक्त भूमि 1/2 हिस्से की हक अधिकारी होने के कारण घोषणा कराने की अधिकारी है। उक्त तनकीयात् वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है एवं प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2. आया वादीया के नाम पर वादग्रस्त भूमियों में हिस्सा घोषित होने के पश्चात् वादीया वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन कर या कर पृथक से कब्जा प्राप्त होने करने का अधिकार है। **वादीया**

तनकी – 2 के संदर्भ में निर्णय निम्नानुसार है – साक्ष्य में वादीया के ओर से साक्ष्यवादी – पीडब्ल्यू – 1 पेश किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है – मै शंकरी पुत्री स्व. रामा जी जाट , आयु 56 वर्ष, निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमद, हाल निवासी फ लीचडा की खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर की रहने वाली होकर निम्नलिखित शपथ पूर्वक निवेदन करती हूं– कि राजस्व ग्राम खटूकडा, पटवार हल्का खटूकडा तहसील रेलमगरा की खाता संख्या 241 कुल किता 11 कुल रकबा 53.07 बीघा जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रर्दश 1 है एवं नक्शा ट्रेस प्रर्दश 2 है। फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 है तथा प्रमाणित प्रतियां खसरा प्रत्रक प्रदर्श 4 है। मै एवं मागू दोनो हिन्दू होकर हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त पैरो संख्या एक वर्णित वादग्रस्त आराजियात मेरी एवं मागू की पुश्तैनी जायदाद है जो विरासत से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। जिसमें मै और मागू एक ही परिवार के होकर स्वर्गीय रामा पिता चेना जी जाति जाट के पुत्र व पुत्री है। नामांतरण संख्या 161 दिनांक 12.06. 168 के समय मै नाबालिग होने के कारण एवं मेरे पिता रामा जी मौते होने के कारण पारित किया गया था। जिसमें विरासत के नामान्तरण में केवल मागू का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया । जो उक्त भूमि में मै और मागू समान हिस्से के हक एवं अधिकारी थे। जो नामातंरण पारित किया गया है। वो विधि विरूद्व पारित किया गया है। नामान्तरण संख्या 161 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश 5 है। वादग्रस्त आराजियात में मै 1/2

सहायक कलेक्टर

हिस्से की खातेदार हू। अत : उक्त विवाद ग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी हू। साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी – डीडब्ल्यू – 1 मांगू पिता रामा जी जाट, डीडब्ल्यू – 2 शांति लाल पिता गणेश, डीडब्ल्यू – 3 पप्पूलाल पिता देवकिशन जाति भांड पेश किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है – मुझ प्रतिवादी के पिता श्री रामा जी जाट की मृत्यू हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में किये गये सन् 2005 के संशोधन से काफी पहले हो चुकी है और चुकि रामा जी की मृत्यू पर उनका एकमात्र पुत्र मांगू ही था इसलिए दाय के खुलने पर वादग्रस्त भूमि जो की रामा जी जाट के नाम दर्ज थी और उनकी मृत्यु के पश्चात् वाद वर्णित भूमि मुझ प्रतिवादी मांगू के नाम अंकित हुई और जिस पर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा होकर उसका उपयोग कर रहा हो। उक्त भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा नहीं बनता है। उक्त भूमि पर 60 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। वाद कारण दिनांक 10.04.2025 को उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योकि वादग्रस्त भूमि में वादीया का किसी तरह का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और 60 वर्ष से अधिक समय से मै प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर काविज होकर काश्त कर रहा हु। केवल मात्र गलत वाद कारण के आधार पर यह वाद प्रस्तुत है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में वादीया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1955 के तहत वादीया की पैतृक सम्पति होने के कारण वादीया उक्त भूमि 1/2 हिस्से की हक अधिकारी होने के कारण घोषणा होने के पश्चात् वादीया वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन कर या कर पृथक से कब्जा प्राप्त होने करने का अधिकारी है। उक्त तनकीयात् वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है एवं प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

3. आया श्री रामा का स्वर्गवास हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में किये गये सन् 2005 में किये गये संसोधन से काफी पहले हो चुकी है जिससे वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का कोई हक अधिकार नहीं बनता है।

प्रतिवादी संख्या 01

तनकी – 3 के संदर्भ में निर्णय निम्नानुसार है – साक्ष्य में वादीया के ओर से साक्ष्यवादी – पीडब्ल्यू – 1 पेश किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है – मै शंकरी पुत्री स्व. रामा जी जाट , आयु 56 वर्ष, निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमद, हाल निवासी फ ली्चडा की खेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर की रहने वाली होकर निम्नलिखित शपथ पूर्वक निवेदन करती हूं– कि राजस्व ग्राम खटूकडा, पटवार हल्का खटूकडा तहसील रेलमगरा की खाता संख्या 241 कुल किता 11 कुल रकबा 53.07 बीघा जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रर्दश 1 है एवं नक्शा ट्रेस प्रर्दश 2 है। फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3 है तथा प्रमाणित प्रतियां खसरा प्रत्रक प्रदर्श 4 है। मै एवं मागू दोनो हिन्दू होकर हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त पैरो संख्या एक वर्णित वादग्रस्त आराजियात मेरी एवं मागू की पुश्तैनी जायदाद है जो विरासत से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है। जिसमें मै और मागू एक ही परिवार के होकर स्वर्गीय रामा पिता चेना जी जाति जाट के पुत्र व पुत्री है। नामांतरण संख्या 161 दिनांक 12.06.168 के समय मै नाबालिग होने के कारण एवं मेरे पिता रामा जी मौते होने के कारण पारित किया गया था। जिसमें विरासत के नामान्तरण में केवल मागू का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया । जो उक्त भूमि में मै और मागू समान हिस्से के हक एवं अधिकारी थे। जो नामातंरण पारित किया गया है। वो विधि विरूद्व पारित किया गया है। नामान्तरण संख्या 161 की प्रमाणित प्रति प्रर्दश 5 है। वादग्रस्त आराजियात में मै 1/2 हिस्से की खातेदार हू। अत : उक्त विवाद ग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी हू। साक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी – डीडब्ल्यू – 1 मांगू पिता रामा जी जाट, डीडब्ल्यू – 2 शांति लाल पिता गणेश, डीडब्ल्यू – 3 पप्पूलाल पिता देवकिशन जाति भांड पेश किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है – मुझ प्रतिवादी के पिता श्री रामा जी जाट की मृत्यू हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में किये गये सन् 2005 के संशोधन से काफी पहले हो चुकी है और चुकि रामा जी की मृत्यू पर उनका एकमात्र पुत्र मांगू ही था इसलिए दाय के खुलने पर वादग्रस्त भूमि जो की रामा जी जाट के नाम दर्ज थी और उनकी मृत्यु के पश्चात् वाद वर्णित भूमि मुझ प्रतिवादी मांगू के नाम अंकित हुई और जिस पर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा होकर उसका उपयोग कर रहा हो। उक्त भूमि में वादीया का 1/2 हिस्सा नहीं बनता है। उक्त भूमि पर 60 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। वाद कारण दिनांक 10.04.2025 को उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योकि वादग्रस्त भूमि में वादीया का किसी तरह का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और 60 वर्ष से अधिक समय से मै प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर काविज होकर काश्त कर रहा हु। केवल मात्र गलत वाद कारण के आधार पर यह वाद प्रस्तुत है जो निरस्त होने योग्य है। श्री रामा का स्वर्गवास हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 में किये गये सन् 2005 में किये गये संसोधन से काफी पहले हो चुकी है जिससे वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। उक्त विवादग्रस्त आराजीयात में वादीया हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1955 के तहत वादीया की पैत्रक सम्पति होने के कारण वादीया उक्त भूमि 1/2 हिस्से की हक हिस्सा बनता की उक्त नियमानुसार पैतृक सम्पति पिता की भूमि में उनके उतराधिकार का समान हक हिस्सा निहित होता है। अतः उक्त तनकीयात् वादीया के पक्ष में निर्णित की जाती है एवं प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वादीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि है। वादी सं. 1, 2 के दादा एवं वादी सं. 3 के परदादा श्री जसुपुरी जी के स्वर्गवास के वाद राजस्व अभिलेख में बड़े पुत्र नाथुपुरी के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया है, जो भूल की है, जबकि कानूनन नाथुपुरी एवं गणेशपुरी के नाम पर बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। नाथुपुरी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 2, 3 के नाम पर दर्ज हो गई। उक्त 'क' में वर्णित भूमियां प्रतिवादी सं. 2,3 के नाम पर दर्ज होने से जमीन प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर दर्ज करा दी, जिससे प्रतिवादी सं 1,2,3 निर्माण करार्य करने पर आमादा है, अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर रहे है, जिसका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है।ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में वादीया का 1/2 हिस्सा खातेदारी में दर्ज कराना आवश्यक है।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी, वाद एवं प्रतिवादी के जवाब एवं बहस का अवलोकन करने से जाहिर आया है कि विवादित भूमि पैतृक संपत्ति होने के कारण वादीया को हिन्दू विधि के अनुसार मौरूसी जायदाद में जन्म से ही हक निहित हो जाता हैं। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद पत्र में वर्णित जायदाद में 1/2 हक हिस्सा निहित होने के कारण वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि –

:: आदेश ::

उक्त विवेचनो के आधार पर वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का **स्वीकार** किया जाता है। राजस्व ग्राम खटूकडा तहसील रेलमगरा के खाता संख्या 241 कुल किता 11 कुल रकबा 53.07 बिघा भूमि में वादीया शंकरी पुत्री रामा जी जाति जाट निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खटूकडा के खाता संख्या 241 कुल केता 11 कुल रकबा 53.07 बिघा में शंकरी पुत्री रामा जी जाति जाट निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा को हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 मांगू पिता रामा जी जाट हिस्सा 1/2 खातेदार होगे। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदराम् हो। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)
सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
रेलमगरा

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 व 7)
(Civil Procedure Code Appendix "D")

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती विन्दु वाला राजावत, **(RAS)**
पत्रावली संख्या. 39/2014
किस्म :– वाद–पत्र
दायर दिनांक : 25.04.2014
निर्णय दिनांक : 13.01.2026

अनवान

शंकरी पुत्री रामा पत्नि रतनलाल जाति जाट निवासी खटूकड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमंद **वादीया**

–:बनामः–

1. मांगू पिता रामा जाति जाट निवासी खटूकडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा। **प्रतिवादीगण**

वादः बाबत् घोषणा, विभाजन एवं निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी श्री मुकेश कुमार टुक्लया, अधिवक्ता वादीया मिनजानिब मुद्दई व श्री प्रकाशचंन्द्र खटीक, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रही। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खटूकडा तहसील रेलमगरा के खाता संख्या 241 कुल किता 11 कुल रकबा 53.07 बिघा भूमि में वादीया शंकरी पुत्री रामा जी जाति जाट निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खटूकडा के खाता संख्या 241 कुल किता 11 कुल रकबा 53.07 बिघा में शंकरी पुत्री रामा जी जाति जाट निवासी खटूकडा, तहसील रेलमगरा का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 मांगू पिता रामा जी जाट हिस्सा 1/2 खातेदार होगे। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदराम् हो। तद्नुसार तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पालना की जावें।

नीज – ..... – .... मुबलिज – ..... – .... बाबत् – ..... – .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर – ..... – .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक – ..... – .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.01.2026 को जारी की गई।

(विन्दु वाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अजीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		वावत् इजराय हुक्मनामा	
मुतफरिक		मिलान	

नोट – इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर फेरिकेन का चाहे किसी के जरिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगा।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा